2

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

आदेश

संचिका संख्या–02/रा0व्या0–05/2007 3375 व0प0, राँची, दिनांक– 26/06/2015

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत रैयती भूमि/गैर मजरूआ भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन के सबध में कोई रोक नही है, परन्तु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41,42 एवं 76 के तहत् प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, वन एव पर्यावरण विभाग की अधिसूचना सख्या रा0 व्या0– 11/2000–2402 व0प0 दिनाक 21.06.2004 द्वारा राज्य की सीमा के अन्तर्गत वन उत्पाद के परिवहन को विनियमित करने के लिए 'झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004' अधिसूचित की गयी है, जिसके आलोक मे वृक्षो के पातन के उपरान्त प्राप्त होने वाले काष्ठ, जलावन इत्यादि के परिवहन के लिए प्रावधान दिये गये है। इसकी प्रक्रिया एव समय–सीमा निम्नवत् है –

1. **रैयती भूमि पर अवस्थित वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन अनुमति की प्रक्रिया :–**

क्र0सं0	प्रक्रिया/कार्रवाई	समय– सीमा	आवश्यक कागजात का विवरण	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4	5
i.	आवेदक द्वारा अनुसूची 'क' के प्रपत्र–3 में अंचलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करना।	N.A	प्रपत्र–3 तथा भूमि के स्वामित्व से संबंधित अभिलेख।	
ii.	अंचलाधिकारी द्वारा नियम 8 के आलोक में विहित जाँच कर आवेदन सबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को अनुशसा सहित प्रेषित करना।	30 दिन	प्रपत्र–3 तथा भूमि के स्वामित्व से सबंधित अभिलेख।	
iii.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवेदन संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को जाँच हेतु अग्रसारित करना।	5 दिन	प्रपत्र–3 (अंचलाधिकारी की अनुशसा सहित)	
iv.	वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी को अनुशसा सहित उपलब्ध कराना।	15 दिन	–	
v.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वृक्षो के पातन की अनुमति देना।	7 दिन	–	
vi.	आवेदक के सम्पत्ति चिन्ह का निबंधन	7 दिन	–	यह कार्रवाई क्रमांक IV एवं V के साथ की जा सकती है।
vii.	पातित वृक्षों से प्राप्त काष्ठ की पूर्ण विवरणी वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करना।	7 दिन	–	आवेदक द्वारा सूचना समर्पित करने पर।
viii.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा अनुसूची 'क' के प्रपत्र संख्या– 1 अथवा 2 में परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करना।	7 दिन	–	

2. गैर मजरूआ भूमि / सरकारी भूमि पर अवस्थित वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन अनुमति की प्रक्रिया :–

क्र0 सं0	प्रक्रिया / कार्रवाई	समय– सीमा	आवश्यक कागजात का विवरण	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4	5.
i.	आवेदक द्वारा संलग्न प्रपत्र में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करना।	N.A	संलग्न प्रपत्र में आवश्यक सूचना तथा गैर मजरूआ / सरकारी भूमि के उपयोग / लीज / हस्तान्तरण के सबंध में सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुमति संबंधित अभिलेख की प्रति।	प्रपत्र पूर्व मे निर्धारित नहीं है।
ii.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवेदन संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को जाँच हेतु अग्रसारित करना।	5 दिन	संलग्न प्रपत्र में आवश्यक सूचना तथा गैर मजरूआ / सरकारी भूमि के उपयोग / लीज / हस्तान्तरण के संबंध मे सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुमति सबंधित अभिलेख की प्रति।	
iii.	वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।	15 दिन	–	
iv.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पातन की अनुमति देना।	7 दिन	–	
v.	आवेदक के सम्पत्ति चिन्ह का निबंधन	7 दिन	–	
vi.	पातित वृक्षों से प्राप्त काष्ठ की पूर्ण विवरणी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करना।	–	–	
vii.	अनुसूची 'क' के प्रपत्र संख्या– 1 अथवा 2 में परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करना।	7 दिन	–	

उपर्युक्त समय–सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि रैयतो / आवेदकों को वन पदार्थो के परिवहन में कोई कठिनाई नहीं हो।

(जयकिशोर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

(304) (735)

ज्ञापांक–02 / रा0व्या0–05 / 2007 3375 व0प0, राँची, दिनांक– 26/06/2015

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची, / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , झारखण्ड / सभी मुख्य वन संरक्षक , झारखण्ड / सभी वन संरक्षक , झारखण्ड / सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.6.15

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–02 / रा0व्या0–05 / 2007 3375 व0प0, राँची, दिनांक– 26/06/2015

प्रतिलिपि– निदेशक, JSAC को सूचनार्थ एवं वन विभागीय Website- Forest. Jharkhand.gov.in पर Upload करने हेतु प्रेषित।

26.6.15

सरकार के उप सचिव